# न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 अपील वाद सं0–83/2014–15

राम किशुन पासवान **बनाम** राज्य

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

## आदेश

5.4.18

प्रस्तुत अपील वाद राम किशुन पासवान, पिता–स्व0 चंद्रदेव पासवान, जन वितरण प्रणाली के बिक्रेता तारा नगर, पंचायत–प्रखण्ड–बिहटा, जिला–पटना अनुज्ञप्ति सं0 30/07(रद्द) ने अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश ज्ञापांक 284/आ0 दिनांक 19.02.2015 के विरूद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली(नियंत्रण) आदेश की कंडिका 15 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–11 के अंतर्गत दिनांक 14.03.2015 को अपील दाखिल किया है।

दिनांक 14.03.2015 अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर, वाद प्रतिग्रहित किया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख मांगते हुए, अगली तिथि 06.05.2015 निर्धारित की गई।

अपीलकर्ता ने अपील आवेदन में अंकित किया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर ने अपने आदेश ज्ञापांक 284 (आ0) दिनांक 19.02.2015 से उनकी अनुज्ञप्ति सं0 30/07 को पुन रद्द कर दिया ~~मम्म~~ है। इसके पूर्व अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश ज्ञापांक 279(आ0) दिनांक 22.02.2014 द्वारा उक्त अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया था, जिसके विरूद्ध समाहर्ता के न्यायालय में दायर अपील वाद सं0 65/2013–14 में दिनांक 19.12.2011 को पारित आदेश में विधिसम्मत मुखर आदेश पारित करते हुए, अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर को प्रतिप्रेषित (Remand) किया गया था। अपीलार्थी का कथन है कि वाद के गुण–दोष पर विचार किए बिना अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर द्वारा आदेश ज्ञापांक 284(आ0) दिनांक 19.02.2015 से उनकी अनुज्ञप्ति पुनः रद्द कर दी गयी है। अंत में अपीलकर्ता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के उक्त आदेश को निरस्त करते हुए, अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को दिनांक 01.03.2018 को विस्तारपूर्वक सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील आवेदन में अंकित

बातों को दुहराते हुए कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उनके स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया गया। उनके द्वारा उनके स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों का सत्यापन किसी तटस्थ पदाधिकारी से नहीं कराया गया एवं उनकी अनुज्ञप्ति को पुनः रद्द कर दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा सुनवाई के दौरान उल्लेख किया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश ज्ञापांक 279(आ0) दिनांक 22.02.14 द्वारा श्री राम किशुन पासवान, जन वितरण प्रणाली बिक्रेता, अनुज्ञप्ति सं0 30/07 पंचायत तारा नगर प्रखण्ड–बिहटा की अनुज्ञप्ति रद्द की गयी थी। उक्त आदेश के आलोक में श्री पासवान द्वारा समाहर्ता न्यायालय, पटना के ई0सी0 अपील वाद सं0 65/2013–14 दायर किया गया था। जिसमें दिनांक 19.12.2014 को पारित आदेश के अंतर्गत बिक्रेता को पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर कानूनी रूप से Speaking Order पारित करने का निदेश समाहर्ता के न्यायालय में दिया गया था। उस आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के ज्ञापांक 47(आ0) दिनांक 09.01.2014 में वर्णित निम्नांकित अनियमितताओं के लिए बिक्रेता को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया।

(1) जांच के समय जांच दल को आपूर्ति से सम्बन्धित पंजी उपलब्ध नहीं कराना।

(2) किरासन तेल एवं खाद्यान्न की वितरण में मात्रा कम एवं मूल्य अधिक लेना।

(3) कैशमेमों का संधारण नहीं करना।

इस परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त वर्णित अनियमितताओं के लिए बिक्रेता द्वारा अपना पक्ष समर्पित किया गया। जांच के समय पड़ोसी को चिकित्सा करवाने के क्रम में आपूर्ति से सम्बन्धित पंजियों को नहीं दिखाया गया एवं मूल्य तथा मात्रा के मामले में पांच व्यक्तियों का नाम अंकित शपथ–पत्र की छाया–प्रति अपने स्पष्टीकरण के उत्तर के साथ समर्पित किया गया है। जिसके साथ लाभर्थियों का कार्ड संख्या भी अंकित नहीं है। साथ हीं बिक्रेता द्वारा कैशमेमों संधारण का साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश से स्वतः स्पष्ट है कि उन्होंने अपीलकर्ता के स्पष्टीकरण पर विचारोपरान्त उन्हें तथ्यधारित एवं साक्ष्यधारित नहीं पाते हुए बिक्रेता की

अनुज्ञादेश रद्द करने का आदेश पारित किया है। उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजात, निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जांच की तिथि को पड़ोसी को चिकित्सा हेतु ले जाने का अपीलार्थी का कथन बनावटी है। उनके द्वारा जांच दल को सहयोग नहीं किया गया एवं कैशमेमों संधारण सम्बन्धी साक्ष्य अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलकर्ता द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 एवं सम्प्रति सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों का उल्लघंन किया गया है।

उपर वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में आलोक में अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के **आदेश** ज्ञापांक 284(आ0) दिनांक 19.02.2015 पारित किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होता है।

अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

**लेखापित एवं संशोधित।**

5/11/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

5/11/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।